(28)

संख्या बी–3– 1808/दस–2008

प्रेषक,

डा.बी.एम.जोशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
उच्च न्यायालय,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–3 लखनऊः दिनॉकः 23 जून, 2008

विषय : न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिए, मोटर कार अग्रिम पर ब्याज दर एवं मासिक किश्तों का निर्धारण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियुक्ति अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या–1868/दो–4–06–45(12)/91टीसी दिनांक 21 अप्रैल, 2006 के अनुसार न्यायिक सेवा के अधिकारियों को स्वीकृत किये जाने वाले मोटर कार अग्रिम पर ब्याज की दर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा मोटर कार अग्रिम पर निर्धारित ब्याज दर (वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में अर्थात् 01 अप्रैल को प्रभावी) से 2 प्रतिशत कम निर्धारित की जानी है । प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे अग्रिम की ब्याज सहित वसूली स्टेट बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बराबर मासिक किश्तों (ई.एम.आई.–इक्वेटेड मन्थली इन्स्टालमेन्ट) के रूप में की जायेगी । अग्रिम की ब्याज सहित वसूली 120 मासिक किश्तों में की जायेगी, परन्तु यदि अधिवर्षता आयु तक कम सेवा अवधि बची हो, तो अवशेष अवधि में ब्याज सहित अग्रिम की पूर्ण वसूली सुनिश्चित करने हेतु तद्नुसार ही मासिक किश्ते निर्धारित की जायेंगी ।

2– वित्तीय वर्ष 2007–08 में न्यायिक सेवा के अधिकारियों को स्वीकृत किये जाने वाले मोटर कार अग्रिम पर ब्याज दर निम्नानुसार निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं –

| ऋण की ब्याज सहित वसूली की अवधि | 01 अप्रैल, 2007 को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज की दर | न्यायिक सेवा के अधिकारियों को स्वीकृत किये जाने वाले कार अग्रिम पर ब्याज की दर |
|---|---|---|
| 3 वर्ष तक | 12.00 प्रतिशत वार्षिक | 10.00 प्रतिशत वार्षिक |
| 3 वर्ष से 5 वर्ष तक | 12.25 प्रतिशत वार्षिक | 10.25 प्रतिशत वार्षिक |
| 5 वर्ष से 10 वर्ष तक | 12.50 प्रतिशत वार्षिक | 10.50 प्रतिशत वार्षिक |

सुविधा के लिए बराबर मासिक किश्तों (ई.एम.आई.) के निर्धारण हेतु रेडीरेक्नर संलग्न है।

3– प्रत्येक स्वीकृति आदेश में ब्याज दर, ऋण की प्रतिदान की अवधि एवं कुल किश्तों (ई.एम.आई.) की संख्या तथा मासिक किश्त (ई.एम.आई.) की राशि का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा । यह ध्यान रखा जाय कि किश्तों की संख्या का निर्धारण, सुविधा के दृष्टिकोण से, 6 माह के गुणांक में किया जाय । उदाहरण के लिये यदि किसी मामले में ऋण स्वीकृत करते समय सम्बन्धित अधिकारी की अधिवर्षता में 100 माह शेष हैं, तो इस मामले में ऋण की वसूली 96 किश्तों में की जायेगी । इसी प्रकार यदि अधिवर्षता में 118 महीने की अवधि शेष है, तो किश्तों की संख्या 114 निर्धारित की जायेगी ।

4– ई.एम.आई. में मूलधन तथा ब्याज दोनों की वसूली साथ–साथ होती हैं । अतः प्रत्येक मास वेतन से काटी जाने वाली ई.एम.आई. की राशि में मूलधन एवं ब्याज की राशि को

पृथक–पृथक किया जाना आवश्यक है ताकि मूलधन एवं ब्याज की कटौती का शुद्ध लेखांकन हो सके । इस हेतु प्रत्येक माह में देय ब्याज का आगणन ठीक पिछले माह की अंतिम तिथि को शेष मूलधन जो सम्बन्धित माह के लिए मूलधन का प्रारम्भिक शेष होगा, पर सम्पूर्ण माह के लिये किया जायेगा । इस प्रकार से आगणित ब्याज की राशि को ई.एम.आई. में से घटाने पर सम्बन्धित माह में वसूले जाने वाले मूलधन की राशि प्राप्त होगी । माह के प्रारम्भ में शेष मूलधन में से, ई.एम.आई. में सम्मिलित मूलधन की राशि को घटाने पर उस माह हेतु मूलधन का अंतिम शेष प्राप्त होगा, जो अगले माह हेतु मूलधन का प्रारम्भिक शेष होगा । आगणन की विधि एक उदाहरण के साथ इस शासनादेश के संलग्नक में दी गयी है ।

5– यह आदेश दिनाँक 01 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होंगे तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 में स्वीकृत किये जाने वाले मोटर कार अग्रिमों पर लागू होंगें । आगामी वित्तीय वर्ष के लिये ब्याज दरें यथासमय जारी की जायेंगी ।

संलग्नक : यथोपरि ।

भवदीय,

(बी.एम.जोशी)
सचिव, वित्त ।

संख्या बी–3– 1808(1)/दस–2008, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2 प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
3 नियुक्ति अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश शासन ।
4 इरला चेक अनुभाग ।
5 समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश ।
6 समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव ।

शासनादेश संख्या – बी–3–1808/दस–2008 दिनांक : 23 जून, 2008 का संलग्नक

**न्यायिक सेवा के अधिकारियों को स्वीकृत किये जाने वाले मोटर कार अग्रिम रुपये की मासिक किश्तों का ब्याज सहित वसूली हेतु रेडीरेकनर**

(धनराशि रुपयों में)

| मासिक किश्तों की संख्या | प्रति एक लाख रुपये के कार अग्रिम की वसूली की मासिक किश्त (ई.एम.आई.) की राशि | | |
|---|---|---|---|
| | ब्याज दर 10 % | ब्याज दर 10.25 % | ब्याज दर 10.50 % |
| 6 | 17156 | 17168 | 17181 |
| 12 | 8792 | 8803 | 8815 |
| 18 | 6006 | 6017 | 6029 |
| 24 | 4614 | 4626 | 4638 |
| 30 | 3781 | 3793 | 3804 |
| 36 | 3227 | 3238 | 3250 |
| 42 | 2832 | 2844 | 2855 |
| 48 | 2536 | 2548 | 2560 |
| 54 | 2307 | 2319 | 2332 |
| 60 | 2125 | 2137 | 2149 |
| 66 | 1976 | 1988 | 2001 |
| 72 | 1853 | 1865 | 1878 |
| 78 | 1749 | 1761 | 1774 |
| 84 | 1660 | 1673 | 1686 |
| 90 | 1584 | 1597 | 1610 |
| 96 | 1517 | 1531 | 1544 |
| 102 | 1459 | 1473 | 1486 |
| 108 | 1408 | 1421 | 1435 |
| 114 | 1362 | 1376 | 1390 |
| 120 | 1322 | 1335 | 1349 |

उदाहरण – (1) यदि किसी अधिकारी को रुपये 2.50 लाख का कार अग्रिम 10 वर्ष की प्रतिदान अवधि के लिये स्वीकृत किया जाता है, तो उसपर लागू ब्याज दर 10.50 प्रतिशत वार्षिक होगी । वसूली की किश्तों की संख्या 120 तथा 10.50 प्रतिशत ब्याज दर के समक्ष प्रति लाख ई.एम.आई. की राशि रुपये 1,349 है अतः इस प्रकरण में रुपये 2.50 लाख के अग्रिम पर ई.एम.आई. की राशि रुपये 1,349 X 2.5 = रुपये 3,372.50 अथवा रुपये 3,373/- होगी ।

(2) यदि किसी अधिकारी को रुपये 2.50 लाख का कार अग्रिम 4 वर्ष की प्रतिदान अवधि के लिये स्वीकृत किया जाता है, तो उसपर लागू ब्याज दर 10.25 प्रतिशत वार्षिक होगी । वसूली की किश्तों की संख्या 48 एवं ब्याज दर 10.25 प्रतिशत के समक्ष प्रति लाख ऋण पर ई.एम.आई. की राशि रुपये 2,548 है । अतः इस प्रकरण में रुपये 2.50 लाख के अग्रिम पर ई.एम.आई. रुपये 2,548 X 2.5 = रुपये 6,370 होगी ।

ब्याज का आगणन –

यदि किसी अधिकारी को 10 वर्ष की प्रतिदान अवधि हेतु रुपये 2.50 लाख का कार अग्रिम स्वीकृत किया जाता है, तो अग्रिम वसूली के प्रथम वर्ष में प्रत्येक माह ब्याज का आगणन निम्नानुसार किया जायेगा –

ब्याज दर – 10.50 प्रतिशत वार्षिक अथवा 0.875 प्रतिशत प्रतिमाह
ई.एम.आई. की राशि – रुपये 3373 प्रतिमाह

| माह | मूलधन का प्रारम्भिक शेष | प्रारम्भिक शेष पर एक माह का ब्याज | ई.एम.आई. | माह में वसूली योग्य मूलधन | अंतिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(2)*0.875/100 | (4) | (5)=(4)-(3) | (6)=(2)-(5) |
| 1 | 250000 | 2188 | 3373 | 1185 | 248815 |
| 2 | 248815 | 2177 | 3373 | 1196 | 247619 |
| 3 | 247619 | 2167 | 3373 | 1206 | 246413 |
| 4 | 246413 | 2156 | 3373 | 1217 | 245196 |
| 5 | 245196 | 2142 | 3373 | 1228 | 243968 |
| 6 | 243968 | 2135 | 3373 | 1238 | 242730 |
| 7 | 242730 | 2124 | 3373 | 1249 | 241481 |
| 8 | 241482 | 2113 | 3373 | 1260 | 240221 |
| 9 | 240222 | 2102 | 3373 | 1271 | 238950 |
| 10 | 238951 | 2091 | 3373 | 1282 | 237668 |
| 11 | 237670 | 2080 | 3373 | 1293 | 236375 |
| 12 | 236377 | 2068 | 3373 | 1305 | 235070 |

उपर्युक्त आगणन में ब्याज की धनराशियों को निकटतम रुपये में राउण्ड कर लिया गया है ।

बारहवें माह का अंतिम शेष, तेरहवीं किश्त के लिये प्रारम्भिक मूलधन होगा, तथा आगे का आगणन उपर्युक्त रीति से ही किया जायेगा । इस प्रकार, प्रतिमाह ब्याज लेखाशीर्ष "0049–ब्याज प्राप्तियाँ–04–राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियाँ–800–अन्य प्राप्तियाँ–02– सरकारी कर्मचारियों को दिये गये ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज–02–मोटर वाहन के लिए अग्रिम" में तथा मूलधन की राशि लेखाशीर्ष "7610–सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज–202–मोटर वाहन का क्रय करने के लिये अग्रिम–01–मोटर वाहन का क्रय करने के लिये अग्रिम" में जमा की जायेगी ।

(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव, वित्त ।